न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, औसियॉ

राजस्व म्यूटेशन अपील संख्या 14/2018

अपीलान्टगण

01 श्रीमती जेठीदेवी पत्नी स्व श्री हरूराम जाति जाट उम्र 80 वर्ष निवासी श्रीराम नगर, तहसील औसिया जिला जोधपुर।

02 श्रीमती लाछोदेवी पत्नी श्री उरजाराम पुत्री स्व श्री हरूराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी गोदारो की ढाणी, पडासला तहसील औसिया जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

01 पुनमाराम पुत्र स्व श्री हरूराम जाति जाट निवासी श्रीराम नगर, तहसील औसियॉ जिला जोधपुर।

02 ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द, जरिये सरपंच

निर्णय दिनांक 26.08.2019

उपस्थित –

वकील अपीलान्ट सांगाराम चौधरी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 1 के पति अपीलान्ट संख्या 2 के पिता हरूराम के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2844 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, एवम् खसरा नम्बर 2843 रकबा 4 बिस्वा कुल खसरे 2 कुल रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा जो हरूराम के अकेले के खातेदारी की कृषि भूमि थी एवम् खसरा नम्बर 2838 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा

सहायक कलेक्टर, औसियां

Scanned by CamScanner

जिस कृषि भूमि मे हरूराम का 1/2 हिस्सा स्थित है एवम् 1/2 हिस्सा लिखमाराम, भारूराम, आसुराम, पिता अणदाराम एवम् लालूराम पिता चुनाराम के खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम खाबडा खुर्द तहसील औसियॉ जिला जोधपुर जो वर्तमान मे ग्राम श्रीराम नगर तहसील औसियॉ जिला जोधपुर मे इन खसरान की कृषि भूमि स्थित है। जिन कृषि भूमियो मे हरूराम के वारिसान का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है तथा खसरा नम्बर 2838 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा मे हरूराम के वारिसान का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। हरूराम का सन् 1976 मे स्वर्गवास हो जाने से उनके प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी वारिसान मे उनकी पत्नि श्रीमति जेठी देवी, पुत्री लाछो देवी, एवम् पुत्र पूनमाराम है। हरूराम के प्रथम श्रेणी वारिसान के वंशावली निम्न अनुसार है –

हरूराम

श्रीमती जेठीदेवी (पत्नि) — पुनमाराम (पुत्र) — लाछो देवी (पुत्री)

श्री हरूराम के स्वर्गवास के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी वारिसान मे अपीलान्टगण एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के जीवित होने से इनके नाम से संयुक्त रूप से नामान्तरकरण ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा जांच कर कानून स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। परन्तु तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच एंव राजस्व कर्मचारियो ने अपीलान्टगण को अपने हिस्से की जमीन से महरूम रखने के उद्धेश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनाराम, से सांठ गांठ करते हुए नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 को स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनाराम का नाम अमल दरामद करवा दिया गया।

सहायक कलेक्टर, ग्रामीण

Scanned by CamScanner

जो कार्यवाही ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द के अकेले सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की पूर्ण बैठक बुलाये बिना अपने मन माफिक तरीके से अन्जाम देते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जो अकेले सरपच नामान्तरकरण स्वीकार करने का अधिकार नहीं था। तथा नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से स्वीकृत करने से पूर्व मृतक हरूराम के सभी वारिसान को सूचित कर बाद जांच नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी आवश्यक थी। जो कार्यवाही तत्कालीन सरपंच एंव राजस्व कर्मचारियो ने नहीं कर नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 को अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनमाराम के नाम स्वीकृत किया। जो नामान्तरकरण देखने मात्र से ही अब–इनिशियो यानि प्रारम्भत ही शुन्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनमाराम के नाम से गलत नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्व रेकार्ड मे पूनमाराम का नाम अमल दरामद होने एवम् जमाबन्दी अकेले पूनमाराम के नाम दर्ज होने की जानकारी अपीलान्टगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नहीं होने दी। जबकि मौके पर कब्जा काश्त अपीलान्टगण का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। हाल ही मे अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य पारिवारिक मनमुटाव होने एवम् आपसी लडाई झगडा होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टगण को कृषि भूमि खसरा नम्बर 2844 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2843 रकबा 4 बिस्वा, व खसरा नम्बर 2838 रकबा 73 बीघा 13 बिस्वा से बाहर निकालने की धमकी दी। तथा यह भी धमकी दी कि इन खसरान की हरूराम की सम्पूर्ण जमीन मेरे नाम से दर्ज करवा दी है। जिस जमीन को कभी को भी किसी को भी बेचान हस्तान्तरण कर दूँगा आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो। इतना सुनते ही अपीलान्टगण आश्चर्यचकित हो गये व हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपने संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2844, 2843, 2838 की जमाबन्दी की नकले देने को कहा तब हल्का पटवारी ने दिनांक 10. 01.2018 को रेकार्ड देख कर बताया कि अपीलान्टगण का न तो राजस्व रेकार्ड

सहायक कलेक्टर, ...

Scanned by CamScanner

मे हरूराम के फोत होने के समय से नाम ही अंकित नहीं हुआ है। तब अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड हल्का पटवारी द्वारा दिखाने एवम् जानकारी प्राप्त होने पर दिनांक 10.01.2018 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर अपीलान्टगण को सर्वप्रथम जानकारी मे आया कि अपीलान्टगण के हक व हिस्से की जमीन हडप करने की नियत से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द एवम् राजस्व कर्मचारियो की मिली भगत से अपीलान्टगण का फोतेदगी म्यूटेशन नाम दर्ज करने से वंचित रखते हुए गलत नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 को ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा स्वीकृत किया गया था। जो नामान्तरकरण देखने मात्र से ही एब इनिशियो यानि प्रारम्भत शून्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने मे तथ्यात्मक विधिक भूल की है। तथा हरूराम के 1976 मे स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि उनकी पत्नि श्रीमति जेठी देवी, पुत्री श्रीमति लाछोदेवी एवम् पुत्र पुनमाराम, एक मात्र जीवित वारिसान है। जिनका संयुक्त रूप से कब्जा काश्त विध्यमान है। ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द ने वारिसान की जांच किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठगांठ करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जो विधि के प्रावधानो एवम् विधिवत वारिसान के विपरीत होने से तथा मृतक हरीराम के प्रथम श्रेणी वारिसान अपीलान्टगण को जान बूझ कर नामान्तरकरण मे अंकित करने से छुपाया गया। तथा ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द के तत्कालीन सरपंच ने अकेले ने ग्राम पंचायत की आम बैठक बुलाये बिना तथा बिना किसी प्रकार की जांच करवाये बिना किसी प्रकार के नोटिस दिये अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण अकेले सरपंच ने स्वीकृत किया जो अकेला सरपंच निर्णय करने मे सक्षम नहीं है और न ही विधि मे ऐसा कोई प्रावधान है। तथा ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने मे अनियमितता की कार्यवाही की गई। मृतक हरूराम के दस्तावेज सम्बन्धी जांच किये बिना सम्पूर्ण कार्यवाही

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned by CamScanner

बिना किसी अधिकार के की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने मे त्रुटि की। तथा विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जो ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा पारित स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 को निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण अपीलान्टगण श्रीमति जेठीदेवी एवम् श्रीमति लाछोदेवी के नाम स्वीकार किया जाने एवम् अन्य कोई आदेश जो अपीलान्टगण के पक्ष मे हो पारित किया जावे। अपील के साथ अपीलान्टगण ने डिले कण्डोन करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया गया है।

सर्व प्रथम मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट के विद्वान वकील की बहस एक पक्षीय सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने दलील दी कि नामान्तरकरण का आदेश शुरू से ही विधि के प्रावधानो की अवहेलना करके दिया गया है। तथा एब इनिशियो यानि प्रारंभत से ही शून्य है। शून्य आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की जानकारी मे आने पर अपील कभी भी पेश की जा सकती है। अपीलान्टगण को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई जानकारी से परिसीमा के अन्दर अपील पेश की गई है। मृतक हरूराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारी वारिस होने से अपीलान्टगण का पैतृक सम्पति मे अधिकार रखते है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तत्कालीन ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द के सरपंच एवम् राजस्व कर्मचारियो से मिलावट करके विधि विरूद्ध तथा प्रारंभ से ही शुन्य निर्णय पारित करवाया है। जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 10.01.2018 को होने पर अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी दलील के समर्थन मे न्यायिक

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned by CamScanner

दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये। जो न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 1989 पेज 45 लाम्बूराम बनाम राजस्थान राज्य, आर बी जे 2006 (13) पेज 1 देवीसिंह बनाम परमा, आर आर डी 2002 (फरवरी) पेज 65 श्रीमति श्यो बाई बनाम शिभू व अन्य, का हवाला दिया। मयाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र तथा बहस का अध्ययन व मनन किया। अपीलान्टगण जेठी देवी व श्रीमति लाछो देवी एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनमाराम मृतक हरूराम के प्रथम श्रेंणी उत्तराधिकार वारिसान होते हुए भी मृतक हरूराम के एक मात्र वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनमाराम को मान कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो प्रारंभ से ही शुन्य है। तथा विद्वान अपीलान्टगण वकील ने अपनी बहस मे प्रगट किया कि शून्य आदेश की अपीलान्टगण को जानकारी होने पर जानकारी से परिसीमा के अन्दर बिना विलम्ब के अपील पेश कर दी है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा कानून की धारा 5 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है। तथा अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद मानते हुए डिले कण्डोन किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा नामान्तरकरण संख्या 228 आदेश दिनांक 31.12.1976 ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द के सम्बन्ध मे वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मे वर्णित तथ्यो व आधारो को दोहराते हुए बहस की गई कि नामान्तरकरण संख्या 228 स्वीकृत करने मे ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द ने विधिक एवम् तथ्यात्मक भूल की है। मृतक हरूराम के पुश्तैनी भूमि मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उत्तराधिकार तय होता है। जिसके अनुसार मृतक हरूराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार मे अपीलान्टगण श्रीमति जेठी देवी, श्रीमति लाछो देवी, एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पुनमाराम है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच एवम् राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ कर मृतक हरूराम की

सहायक कलेक्टर, सोचिये

Scanned by CamScanner

सम्पूर्ण भूमि को अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। एवम् शेष उत्तराधिकारी अपीलान्टगण श्रीमति जेठी देवी पत्नि हरूराम, श्रीमति लाछो देवी पुत्री हरूराम को अपने हक हकूको से महरूम कर दिया। साथ ही सरपंच ने नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष नहीं रख कर स्वंय अकेले के द्वारा स्वीकृत किया है जो अकेले सरपंच को नामान्तरकरण स्वीकृत करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तथा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक हरूराम के वारिसानो की न तो जांच की गई न ही सूचित ही किया गया। उपरोक्त कारणो से ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा द्वारा दिनांक 31.12.1976 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 228 विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तथा नामान्तरकरण मृतक हरूराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकार अपीलान्टगण एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकार किया जावे। तथा नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

हमने विद्वान वकील अपीलान्टगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया।

ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 को स्वीकृत किया गया है। जो मृतक हरूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्टगण को वंचित रखते हुए एक मात्र वारिस पूनमाराम के नाम स्वीकार किया जाना जाहिर है। तथा सरपंच ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा बिना किसी प्रकार वारिसान की जांच करके म्यूटेशन संख्या 228 पारित किया है। जो विधि की व्यवस्था के आगे ठहर नहीं सकता है। मृतक हरूराम के उत्तराधिकारी अपीलान्टगण श्रीमति जेठी पत्नि हरूराम, श्रीमति लाछो पुत्री हरूराम एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूनमाराम पुत्र हरूराम होना अपीलान्टगणो की दलीलो से प्रमाणित होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द ने नामान्तरकरण संख्या 228 हरूराम के प्रथम श्रेणी उत्तराधिकार

सहायक कलेक्टर, जोधपुर

Scanned by CamScanner

वारिसान की जांच किये बिना एवम् बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये स्वीकृत किया है। जो पूर्णतया नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नामान्तरकरण संख्या 228 दिनांक 31.12.1976 ग्राम पंचायत खाबडा खुर्द द्वारा पारित नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार औसिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक हरूराम के सभी वारिसान की जांच कर विधि के प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित पक्षो को सुनने का अवसर देकर नये सिरे से निर्णय लिया जाकर मृतक हरूराम के वारिसान के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। प्रकरण ग्राम श्रीराम नगर के खसरा नम्बर 2844, 2843, 2838 के सम्बन्ध मे नये सिरे से निर्णय हेतू प्रतिप्रेषित किये जाने हेतू निर्णय की प्रति तहसीलदार औसियॉ को प्रेषित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर, औसिया
औसियॉ

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांक 26.08.2019 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर, औसिया
औसियॉ

Scanned by CamScanner